

Users in the state can collect eStamps at the time of property registration at the sub-registrar's office.

It has also been mandated as per GO dated 30th June 2016 (attached in Page 2)

प्रेषक,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश।

संख्या :- 2065 /शि0का0लख0/2016

दिनांक 30 जून, 2016

विषय :- प्रदेश के उप निबन्धक कार्यालयों में ई-स्टाम्प काउन्टर स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में आप अवगत हैं कि प्रदेश में वर्ष 2013 में उत्तर प्रदेश ई-स्टाम्पिंग नियमावली, 2013 प्रख्यापित की गयी थी तथा वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में ई-स्टाम्प प्रमाण पत्रों को जारी किए जाने हेतु स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को अनुबन्धित किया गया है। ई-स्टाम्प प्रमाण पत्रों की व्यवस्था स्थापित होने से एक तरफ जहां जनसामान्य को एक महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान की गयी है, वहीं दूसरी तरफ परम्परागत स्टाम्प पत्रों के परिवहन, संरक्षण एवं कमीशन आदि के मद में शासन को काफी राजस्व की बचत भी हुई है।

2- उक्त के सम्बन्ध में संज्ञान में आया है कि ई-स्टाम्प प्रमाण पत्रों की सुविधा का लाभ जनसामान्य को उन्हीं स्थानों पर ज्यादा हो रहा है, जहां ई-स्टाम्प प्रमाण पत्रों के विक्रय के केन्द्र या तो उप निबन्धक कार्यालय परिसर में है अथवा इन कार्यालयों के अत्यधिक समीप हैं। तहसील स्तरीय उप निबन्धक कार्यालयों में इस सुविधा का लाभ जनसामान्य प्रायः नहीं उठा पा रहे हैं।

3- इस सम्बन्ध में ज्ञातव्य है कि भारत सरकार के "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" कार्यक्रम में उप निबन्धक कार्यालयों में ई-स्टाम्प प्रमाण पत्रों के निर्गमन की सुविधा उपलब्ध कराया जाना एक महत्वपूर्ण बिन्दु है, जिसके अनुपालन हेतु शासन द्वारा निरन्तर निर्देश प्रदान किए जा रहे हैं।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ उप निबन्धक कार्यालयों में जहां कहीं भी स्थान उपलब्ध हो वहां स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के स्थानीय प्रतिनिधियों से सम्पर्क स्थापित करते हुए उप निबन्धक कार्यालयों में ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र विक्रय का काउन्टर स्थापित कराना तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(अनिल कुमार)

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।